कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 3286 /पी0एस0/विविध/ज्येष्ठता सूची/आ0नि0/2024/दिनांकःप्रयागराज : 01 अगस्त जुलाई ,2024

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या–561– 1590/पी0एस0/ विविध/ ज्येष्ठता सूची/आ0नि0/2024/दिनांक 26–04–2024 के संलग्नक के रूप में आबकारी निरीक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित करते हुए दिनांक 10–05–2024 तक समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों से आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी।

उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गयी है। प्राप्त आपत्तियों में कई अधिकारियों/कर्मचारियों की आपत्तियां एक ही प्रकार की है। प्राप्त आपत्तियों को निम्नानुसार वगीकृत करते हुए उनके प्रत्यावेदक, आपत्तियों के विवरण तथा आपत्तियों के निस्तारण निम्नानुसार किया गयाः–

आपत्ति प्रकार–1

सर्वश्री प्रदीप कुमार सिंह, सूर्य प्रकाश, प्रवीण कुमार पाण्डेय, सन्तोष कुमार उपाध्याय, शिव कुमार, गुरू प्रसाद गुप्ता, अतुल त्रिपाठी, श्याम प्रताप मल्ल, महेन्द्र प्रताप सिंह, राजेन्द्र कुमार, राजेश सिंह, मोहम्मद असलम, राजेश प्रताप सिंह, अनीता मर्तोलिया

वर्ष 2002 बैच के आबकारी निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2000 बैच के रिशफलिंग से 2005 में आये आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता के विरूद्ध आपत्ति करते हुए रिशफलिंग से आये आबकारी निरीक्षकों (क्रमांक–342 से 352 तक, क्रमांक–377 से 379 तक एवं 403, 404, 405 तथा 410 पर अंकित) की ज्येष्ठता अपने ज्येष्ठता क्रमांक के नीचे अवधारित करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त आपत्ति के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त पाया गया कि 2005 में रिशफलिंग से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आंवटित किये गये आबकारी निरीक्षकों का नाम उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8/5 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेरिट लिस्ट के अनुसार आवधारित करते हुए आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 तैयार की गयी है उक्त ज्येष्ठता सूची विशेष अपील संख्या 1304/2003, 1303/2003, 1309/2003, 28/2004 एवं 29/2004 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–03–2008 तथा रिट याचिका संख्या 37930/2007 तथा सहबद्ध रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–08–2008 में अवधारित तथ्यों/दिये गये निर्देशानुपालन में बनायी गयी थी। इस प्रकार उपरोक्त ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 जो उपरोक्त रिट याचिकाओं/विशेष अपीलों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बनायी गयी थी, के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या/सिविल अपील संख्या 2900–2902/2009 व अन्य सहबद्ध सिविल अपील संख्या 2897–2899/2009, 2928/2009, 2929/ 2009, 2931–32/2009, 2946–2948/2009 तथा 2949–2950/2009 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–07–2011 के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिकाओं/विशेष अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 10–03–2008/ 25–03–2008 में कोई त्रुटि न होना अवधारित करते हुए उसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप का औचित्य न पाते हुए, निर्णय मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित किया गया था। इस प्रकार आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कोई हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है तदनुसार आबकारी निरीक्षकों की संदर्भगत ज्येष्ठता सूची

दिनांक 06–09–2010 विधिसम्मत है। उपरोक्त ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 के विरूद्ध प्रत्यावेदकों द्वारा तत्समय कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी थी तथा ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 के आधार पर सहायक आबकारी आयुक्त पद पर अपनी हुई पदोन्नतियों को श्री त्रिपाठी के अतिरिक्त सभी प्रत्यावेदकों द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया है। ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 के विरूद्ध लगभग 13 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में आपत्ति करना अत्यधिक कालातीत होने के कारण स्वीकार नहीं है तथा कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या–561–1520/पी0एस0/विविध/ज्येष्ठतासूची/आ0नि0/2024/प्रयागराज/दिनांक 26–04–2024 के संलग्नक के रूप में निर्गत आबकारी निरीक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता कमांक 593 के बाद अंकित टिप्पणी **"उपरोक्तानुसार ज्येष्ठता कमांक 1 से 593 तक अंकित नाम अन्तिमीकृत ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 के अनुसार उल्लिखित है जिसके विरूद्ध ज्येष्ठता कमांक के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।"** के कम में प्रत्यावेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन अत्यधिक कालबाधित एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

आपत्ति प्रकार–2

सर्वश्री विपिन कुमार यादव, शिखर श्रीवास्तव, गिरिराज सिंह व रमाशंकर सिंह

वर्ष 2011 में सीधी भर्ती से चयनित 04 आबकारी निरीक्षकों द्वारा दिनांक 24–05–2010 को प्रोन्नत आबकारी निरीक्षकों से ऊपर इस आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2011 में सीधी भर्ती से चयनित आबकारी निरीक्षकों की नियुक्तियाँ वर्ष 2004 की रिक्ति के सापेक्ष चयनोपरान्त वर्ष 2011 में हुई हैं जबकि शासनादेश संख्या–724/ई–1/तेरह–2010–499(2)/2008 दिनांक 28–04–2010 के अन्तर्गत 220 पदों का सृजन हुआ था जिनका क्षेत्रवार/सेक्टरवार/विंगवार अपराध निरोधक क्षेत्रों का गठन दिनांक 13–06–2016 को हुआ था तथा लिपिक व उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग से प्रोन्नति जल्दबाजी में अपराध निरोधक क्षेत्रों के गठन के पूर्व ही वर्ष 2010 में कर दिया गया था तथा 2010 में लिपिक संवर्ग व उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग की हुई प्रोन्नतियां लोक सेवा आयोग से अनुमति के बिना की गयी थीं जो विधि विरूद्ध है। उपरोक्त के कम में प्रत्यावेदकों द्वारा अपनी ज्येष्ठता दिनांक 24–05–2010 को प्रोन्नति से नियुक्त आबकारी निरीक्षकों के ऊपर निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रत्यावेदकों के कथन के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त पाया गया कि शासनादेश संख्या–724/ई–1/तेरह–2010–499(2)/2008 दिनांक 28–04–2010 के अन्तर्गत आबकारी निरीक्षक के 220 पद नवसृजित हुये थे तदनुसार दिनांक 24–05–2010 को आबकारी निरीक्षक के स्वीकृत पदों की संख्या 759 थी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली, 1992 के नियम–5(1) के अनुसार 10–10 प्रतिशत पद लिपिकों तथा उप आबकारी निरीक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान था। तदनुसार दिनांक–28–04–2010 को आबकारी निरीक्षकों के 220 पद सृजित होने के उपरान्त लिपिक तथा उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग की पदोन्नति से 76–76 पदों पर नियुक्तियां किया जाना था जिसके कम में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या–ए–38/PA/पी0एस0–2/प्रोन्नत/आ0नि0 /अधिष्ठान/इला0 दिनांक 24–05–2010 द्वारा आबकारी निरीक्षक के 30 पदों पर उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग से प्रोन्नतियां की गयी जिनमें से 06 आबकारी निरीक्षक अनुसूचित जाति संवर्ग से आरक्षण के लाभ के अन्तर्गत प्रोन्नत हुए थे, जिन्हें सिविल अपील संख्या 2608/2011 उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य तथा उससे सहबद्ध अन्य सिविल अपीलों में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–04–2012 के अनुपालन के कम में निर्गत कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/4/1/2002/टी0सी0–1–का–2/2015 दिनांक 21–08–2015 तथा आबकारी अनुभाग–1 के शासकीय पत्र संख्या–1577 ई–1/तेरह–2015 दिनांक 27–08–2015 में प्रदत्त निर्देशों के कम में, उनके मूल पद उप आबकारी निरीक्षक पर अवनत करते हुए पूर्व में उप आबकारी निरीक्षक

संवर्ग से आरक्षण का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नत 05 आबकारी निरीक्षकों (सर्वश्री श्यामदेव प्रसाद, श्रीराम, चन्द्रपाल, अशोक कुमार व अजय कुमार) को बिना आरक्षण के लाभ के अन्तर्गत वरिष्ठता के आधार पर पश्चातवर्ती तिथि दिनांक 24–05–2010 से प्रोन्नति प्रदान की गयी। इस प्रकार दिनांक 24–05–2010 को प्रोन्नत 29 आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता, अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26–04–2024 के ज्येष्ठता कमांक 594 से 622 तक नियमानुसार निर्धारित की गयी है। तदनुसार दिनांक 24–05–2010 को प्रोन्नत 29 आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता कमांक 594 से 622 पर निर्धारित की गयी है जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 के अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर नियमानुसार निर्धारित की गयी है।

सीधी भर्ती से नियुक्त उपरोक्त चारों आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से प्राप्त मेरिट लिस्ट के कम में उनके मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता सूची नियमावली, 1991 के नियम–8 के अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर नियमानुसार निर्धारित की गयी है।

प्रत्यावेदकों का यह कथन कि वर्ष 2010 में लिपिक संवर्ग व उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग से हुई प्रोन्नतियां लोक सेवा आयोग से अनुमति के बिना की गयीं थी जो विधि विरूद्ध है, पूर्णतया तथ्यों से परे होने के कारण पोषणीय नहीं है क्योंकि वर्ष 2010 में आबकारी निरीक्षक समूह 'ग' का एक अराजपत्रित पद था तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों को परिसीमन) विनियम, 1954 (यथासंशोधित) के प्राविधानानुसार समूह–ग एवं एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर प्रोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति किया जाना अपेक्षित नहीं था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में चारों प्रत्यावेदकों के प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

आपत्ति प्रकार–3

सर्वश्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, भगवान बख्स, संजय कुमार, शत्रुघ्न, दिनेश कुमार, प्रभु नारायण सिंह, रामवीर सिंह, अश्वनी कुमार, मनोज कुमार, मनोज कुमार शर्मा, अखिलेश कुमार सिंह, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, श्रीमती सविता रानी, सुश्री नीरज राजौरिया

उपरोक्त प्रत्यावेदकों का कथन है कि वर्ष 2014 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से विशेष चयन के अन्तर्गत चयनित होकर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हुए आबकारी निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2014 में ही लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से सामान्य चयन के अन्तर्गत चयनित होकर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए आबकारी निरीक्षकों से अपनी ज्येष्ठता ऊपर निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा–2008 को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा अंतिम परिणाम दिनांक 08–01–2014 को घोषित किया गया था तथा इनकी नियुक्तियां जुलाई 2014 में की गयी थी जबकि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा–2008 का अंतिम परिणाम दिनांक 13–06–2014 को घोषित किया गया था तथा इनकी नियुक्तियां नवम्बर–2014 में हुई थीं तदनुसार विशेष चयन के उपरोक्त आबकारी निरीक्षकों ने अपनी नियुक्तियां सामान्य चयन के अभ्यर्थियों से पूर्व होने के कारण अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना नाम सामान्य चयन के आबकारी निरीक्षकों से पूर्व रखे जाने का अनुरोध किया है। प्रत्यावेदकों का यह भी कथन है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के भाग–तीन (5) (1) में निम्नवत उल्लेख किया गया है:–

"जब सेवा नियमावली में किसी पद पर सिर्फ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने का उपबन्ध हो तो किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये सरकारी सेवकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन सूची में प्रदर्शित हो, पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये सरकारी सेवक पूर्ववर्ती चयन के

परिणामस्वरूप नियुक्त सरकारी सेवकों से कनिष्ठ होगें। **यदि एक ही वर्ष में नियमित एवं आपात भर्ती के लिए अलग–अलग चयन किये गये हों तो, नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन, पूववर्ती चयन माना जाएगा तथा चयन के फलस्वरूप नियुक्त सेवक ज्येष्ठ होंगे।"**

प्रत्यावेदकों का कथन है कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा–2008 के तहत की गयी भर्ती आपात भर्ती नहीं है। बैकलॉग के पद भरने के लिए की गयी भर्ती को आपात भर्ती नहीं माना जा सकता। दोनों चयनों में आयोग द्वारा एकसमान प्रकिया अपनाया गया है। अतः विशेष चयन को आपात चयन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। प्रत्यावेदकों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि दोनों चयनों हेतु जारी किये गये विज्ञापन संख्याः ए–3/ई–1/2008, दिनांक, 09 अगस्त, 2008 में कहीं भी आपात भर्ती का उल्लेख नही किया गया है। प्रत्यावेदकों का कथन है कि इस आधार पर विशेष चयन को आपात भर्ती मानना पूर्णतया अनुचित एवं निराधार है। तदनुसार प्रत्यावेदकों ने अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में वर्ष 2014 में सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा–2008 के अन्तर्गत चयनित आबकारी निरीक्षकों के ऊपर अपनी ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रत्योवदकों के उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त पाया गया कि स्वयं प्रत्यावेदकों द्वारा उल्लिखित किया गया है कि दोनों चयनों हेतु विज्ञापन संख्याः ए–3/ई–1/2008, दिनांक, 09 अगस्त, 2008 जारी किया गया था, जो अभिलेखीय है तथा सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–5 में निम्नवत उल्लेख है :–

(5)–जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो, वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी है;

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणास्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

<u>स्पष्टीकरण :–</u> "जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक–पृथक चयन किये जायें, तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन, पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा।"

सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–5 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। तदनुसार एक ही विज्ञापन के अन्तर्गत सामान्य तथा विशेष चयन द्वारा चयनित कार्मिकों में ज्येष्ठता नियमावली के नियम–5 के उपरोक्त **स्पष्टीकरण** के अनुसार सामान्य चयन द्वारा किया गया चयन उसी वर्ष विशेष चयन द्वारा किये गये चयन से पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा। तदनुसार पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किया गया व्यक्ति उपरोक्त नियम के अनुसार पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित व्यक्ति से ज्येष्ठ होंगे। चूंकि एक चयन वर्ष में एक ही विज्ञापन के माध्यम से सामान्य तथा विशेष चयन हुए हैं। अतः नियम–5 के स्पष्टीकरण के अनुसार नियमित चयन द्वारा चयनित व्यक्ति विशेष चयन द्वारा चयनित व्यक्ति से ज्येष्ठ होंगे।

प्रत्यावेदकों का यह कथन कि विशेष चयन, आपात चयन नहीं होता, भ्रामक एवं तथ्यों से परे है। चयन दो ही प्रकार के होते हैं सामान्य और विशेष। विशेष चयन विशिष्ट कारणों से ही घटित होता है, जो आपात चयन कहलाता है। अतः प्रत्यावेदकों का उपरोक्त कथन न तो विधिसम्मत है और न ही नियम संगत है। तदनुसार प्रत्यावेदकों के प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है।

आपत्ति प्रकार–4

सर्वश्री हुकुम सिंह, के0पी0 चौधरी

श्री के0 पी0 चौधरी तथा श्री हुकुम सिंह ने अपने पृथक–पृथक प्रत्यावेदनों दिनांक 06–05–2024 के अन्तर्गत उल्लिखित किया है कि ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 को ही आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा उनके आपत्तियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित कतिपय आबकारी निरीक्षकों द्वारा वर्ष 1992 के प्रोन्नत आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर खारिज करते हुए उनकी आबकारी निरीक्षक के पद पर दिनांक 26–06–1995 की नियुक्ति के आधार पर उक्त ज्येष्ठता सूची में क्रमशः क्रमांक–186 वें तथा 187 वें स्थान पर अंकित किया गया है। प्रत्यावेदकों का कथन है कि दिनांक 26–07–2011 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता सम्बन्धित कतिपय आबकारी निरीक्षकों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं एवं आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार आबकारी आयुक्त के आदेश संख्या–445/पी0एस0/नि0या0सं0–672–2009/इलाहाबाद/दिनांक 19–05–2010 प्रभावी है। तदनुसार प्रत्यावेदकों ने उक्त ज्येष्ठता सूची के क्रमशः ज्येष्ठता क्रमांक 186 तथा 187 पर अंकित अपने नामों को विलोपित करके क्रमशः 73 ए व 73 बी पर अंकित किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रत्यावेदकों का उपरोक्त कथन तथ्यों के पूर्णतया विपरीत होने के कारण पोषणीय नहीं है। परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि श्री के0 पी0 चौधरी तथा श्री हुकुम सिंह की उप आबकारी निरीक्षक पद से आबकारी निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के क्रमशः आदेश दिनांक 13–06–1996 व 19–06–1997 के अन्तर्गत की गयी थी, परन्तु कालान्तर में उपरोक्त दोनों प्रत्यावेदकों द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 17–11–1992 को उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग से आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति की 02 रिक्तयां भरे जाने से शेष (unfilled) रह गयीं थीं और वे तत्समय आबकारी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह थे। अतः उनके द्वारा दिनांक 17–11–1992 से आबकारी निरीक्षक पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रत्यावेदकों के उपरोक्त प्रत्यावेदन पर विचारण के उपरान्त दिनांक 17–11–1992 को उप आबकारी निरीक्षक पद से आबकारी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जाति की 02 रिक्तियां unfilled पाये जाने के कारण, तत्समय प्रत्यावेदकों से क्रमशः 28 एवं 14 वर्ष वरिष्ठ अनुसूचित जाति के 02 उप आबकारी निरीक्षकों श्री सी0 पी0 सागर तथा श्री ओम प्रकाश वर्मा को दिनांक 17–11–1992 से आबकारी निरीक्षक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके कारण प्रत्यावेदकों द्वारा दिनांक 17–11–1992 से आबकारी निरीक्षक पद पर नोशनल पदोन्नति की मांग किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया, यह भी विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि श्री के0पी0 चौधरी व श्री हुकुम सिंह की उप आबकारी निरीक्षक पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 25–08–1990 है। दिनांक 17–11–1992 को उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग के अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु उपलब्ध दोनों रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्यावेदकों से 28 और 14 वर्ष वरिष्ठ अनुसूचित जाति के श्री सी0पी0 सागर और श्री ओ0पी0 वर्मा को नोशनल प्रोन्नति प्रदान कर दिये जाने के कारण कोई रिक्ति अवशेष उपलब्ध नहीं पायी गयी। परन्तु कालान्तर में उक्त दोनों प्रत्यावेदकों (श्री के0 पी0 चौधरी तथा श्री हुकुम सिंह, उप आबकारी निरीक्षकों) को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेशान्तर्गत दिनांक 26–06–1995 से आबकारी निरीक्षक पद पर अनुसूचित जाति की रिक्ति के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति प्रदान की गयी। तदनुसार ही नोशनल प्रोन्नति दिनांक 26–06–1995 से आबकारी निरीक्षक पद पर प्रत्यावेदकों की मौलिक नियुक्ति अवधारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपीलों/रिट याचिकाओं में पारित निर्णयों/निर्देशों दिनांक 10–03–2008/25–03–2008 के अनुपालन में आबकारी निरीक्षकों की बनायी गयी ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 में श्री के0पी0 चौधरी व श्री हुकुम सिंह की क्रमशः ज्येष्ठता क्रमांक 186 व 187 पर ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है, जो मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल अपील

संख्या 2900–2902/2009 में मा0 उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों दिनांक 10–03–2008/25–03–2008 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए सिविल अपीलों को खारिज कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10–03–2008/25–03–2008 के अनुपालन में आबकारी निरीक्षकों की निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 के आधार पर सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर शासन द्वारा दिनांक 14–10–2010 को की गयी पदोन्नति को प्रत्यावेदकों द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया गया है। सम्प्रति आबकारी निरीक्षकों की निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26–04–2024, पूर्व में निर्गत एवं अन्तिमीकृत ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 का विस्तारीकरण है जिसके ज्येष्ठता कमांक 593 के पश्चात उल्लिखित है **"उपरोक्तानुसार ज्येष्ठता कमांक 1 से 593 तक अंकित नाम अन्तिमीकृत ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 के अनुसार उल्लिखित है जिसके विरूद्ध ज्येष्ठता कमांक के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।"** तदनुसार प्रत्यावेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 06–05–2024 पोषणीय एवं ग्राह्य नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–07–2011 के उपरान्त प्रत्यावेदकों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या–445/पी0एस0/नि0या0सं0–672–2009/इलाहाबाद/दि0–19–05–2010 के प्रभावी होने का प्रत्यावेदकों का कथन पूर्णतया आपत्तिजनक एवं अपूर्ण तथा भ्रामक होने के कारण पोषणीय नहीं है, क्योंकि संदर्भगत प्रकरण में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या–1195/पी0एस0/नि0या0सं0–672–2009/इलाहाबाद/दिनांक 06–09–2010 के अन्तर्गत श्री के0 पी0 चौधरी व श्री हुकुम सिंह द्वारा प्रस्तुत भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की मांग सर्वथा अनुचित होने की दशा में आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 14/ 19–05–2010 के अन्तर्गत उक्त दोनों प्रत्यावेदकों की आबकारी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी पूर्व आदेश दिनांक 30–10–2007 में किये गये आंशिक संशोधन को निरस्त कर दिया गया, अर्थात आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 14/19–05–2010 को निरस्त कर दिया गया जिसके उपरान्त प्रत्यावेदकों के दिनांक 17–11–1992 से आबकारी निरीक्षक पद पर की गयी नोशनल पदोन्नति को त्रुटिपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया गया है। प्रत्यावेदकों द्वारा जानबूझ कर इस तथ्य को छुपाकर, भ्रम फैलाकर, अनुचित तथा विधिविरूद्ध ढंग से एक ही आधार पर बार–बार विभिन्न फोरम पर प्रत्यावेदन/निदेश याचिका/रिट याचिका/अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग में शिकायत प्रस्तुत करके अपनी ज्येष्ठता परिवर्तित कराने का एक उपकम अपनाया जा रहा है, जो सर्वथा भ्रामक, अनुचित, अपोषणीय तथा अतिशय कालबाधित होने के कारण निरस्त किया जाता है।

आपत्ति प्रकार–5

सर्वश्री राहुल कुमार सिंह, मनोज कुमार पटेल, अंकुर गुप्ता, आकाश तिवारी, आनन्द कुमार शुक्ला, मधुसूदन शुक्ल, फरजन्द अली, सुनील कुमार सिंह, सुश्री दीपा केशरी, सुश्री विदुषी गर्ग, सुश्री सुमन कुमारी

प्रत्यावेदकों द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26–04–2024 में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 (3) का सम्यक अनुपालन न होने का कथन करते हुए तदनुसार कोटा/अनुपात एवं चक्रानुक्रम का पालन करते हुए ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रत्यावेदकों के उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली, 1991 के नियम–5 (1) के अनुसार आबकारी निरीक्षक पद पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से किये जाने का प्राविधान है–

1– 80 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

2– 10 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप आबकारी निरीक्षको में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 04 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा और

3– 10 प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों में से जो भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 हों, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा

परन्तु..... पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के नियम–5 (1) के अनुसार आबकारी निरीक्षक पद पर नियुक्तियां एक से अधिक संवर्गों की पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का निम्नवत प्राविधान है:–

<u>उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाय:–</u>

8–जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जाएगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस कम में अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाए तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों के विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप–

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार की पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम–6 या नियम–7 में किये गये सिद्धान्तों के अनुसार की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाएं वहां पदोन्नति व्यक्तियों की, सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जाएगी।

प्रत्यावेदकों के प्रत्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रत्यावेदकों का चयन आबकारी निरीक्षकों के वर्ष 2013 के अधियाचन के सापेक्ष हुआ है, जिनका परिणाम लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित किये जाने के उपरान्त कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 30–04–2016 द्वारा आबकारी निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुतियॉ प्राप्त हुई थी। जिसके क्रम में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 03–06–2016 द्वारा आबकारी निरीक्षक पद पर चयन हेतु संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु सूची प्राप्त हुयी, तदनुसार उक्त चयन के परिणामस्वरुप चयनित आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–5 के अनुसार आयोग द्वारा प्रेषित श्रेष्ठता सूची (Merit List) के अनुसार अवधारित की गयी है। तत्पश्चात दिनांक 09–06–2016 को प्रोन्नत आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि (प्रोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि 09–06–2016) के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 (2)(ख) के अनुसार अवधारित की गयी है। चूंकि उपरोक्तानुसार आबकारी निरीक्षक पद पर **<u>एक चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियॉ नहीं की गयी</u>**

है, तदनुसार चक्रानुक्रम में ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना नियमानुकूल नही पाया गया। प्रत्यावेदकों द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह भी उल्लिखित नही किया गया है कि उनकी अपनी ज्येष्ठता किस कार्मिक के ऊपर निर्धारित की जानी है। अतः सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्रविधानों के अनुसार निर्धारित किये जाने के कारण प्रत्यावेदकों की आपत्ति बलहीन एवं निराधार होने के कारण निरस्त किये जाते हैं।

आपत्ति प्रकार–6

श्री राजेश कुमार तिवारी, श्री कमलेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती ज्योति अग्रवाल, श्री अरविन्द कुमार सिंह, श्री बिजेन्द कुमार, श्री सज्जन बाबू शुक्ला, श्रीमती बेबी चाँद खाँ, श्री राजेश कुमार मिश्रा, श्री शिशिर द्विवेदी, श्री रामेन्द्र सिंह, श्री अलंकार सिंह,

श्री राजेश कुमार तिवारी, श्री कमलेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती ज्योति अग्रवाल, श्री अरविन्द कुमार सिंह, श्री बिजेन्द कुमार, श्री सज्जन बाबू शुक्ला तथा श्रीमती बेबी चाँद खाँ द्वारा यह आपत्ति दर्ज करायी गयी है कि उनके नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26–04–2024 में अंकित नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदकों द्वारा प्रोन्नति आदेश दिनांक 09–09–2020 संलग्न करते हुए अपनी ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रत्यावेदकों के उपरोक्त प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि क्रमांक 1179 से 1185 पर अंकित कार्मिकों के नाम पुनः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के 1186 से 1192 पर अंकित हो गया है। इन कार्मिकों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के अधार पर 1186 से 1192 पर अंकित होना ठीक पाया गया, परन्तु प्रत्यावेदकों के प्रोन्नति आदेश में उल्लिखित मौलिक नियुक्ति दिनांक 09–09–2020 के अनुसार श्री राजेश कुमार तिवारी, श्री कमलेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती ज्योति अग्रवाल, श्री अरविन्द कुमार सिंह, श्री बिजेन्द कुमार, श्री सज्जन बाबू शुक्ला तथा श्रीमती बेबी चाँद खाँ के नाम क्रमशः ज्येष्ठता क0 1179 से 1185 पर उल्लिखित कार्मिकों के स्थान पर अंकित कर दिया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदको के प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाते हैं।

आपत्ति प्रकार–7

श्री सचिन त्रिपाठी

श्री सचिन त्रिपाठी ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 29–04–2024 द्वारा अवगत कराया है कि उनका नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 1096 पर दर्शाया गया है जबकि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 09–06–2016 द्वारा उन्हें दिनांक 07–11–2012 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है। इस प्रकार उन्होंने नोशनल पदोन्नति की तिथि के आधार पर अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26–04–2024 में श्री पिंगाक्ष त्रिपाठी (ज्येष्ठता क्रमांक 669) तथा श्री आशीष सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक 670) के मध्य अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रत्यावेदक के उपरोक्त प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण करने पर पाया गया कि श्री सचिन त्रिपाठी का चयन वर्ष 2012–13 में पद आरक्षित रखते हुए लिफाफा बन्द किया गया था और उन्हें आदेश दिनांक 09–06–2016 के उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग के क्रम संख्या–1 पर चयनित श्री सचिन त्रिपाठी के प्रोन्नति आदेश दिनांक 07–11–2012 में अंकित श्री पिंगाक्ष त्रिपाठी ज्येष्ठता क्रमांक–86 एवं श्री आशीष सिंह ज्येष्ठता क्रमांक 93 के मध्य पदस्थ समझे जाने के आदेश पारित किये गये हैं तदनुसार प्रत्यावेदक के कथन की पुष्टि होने के कारण प्रत्यावेदक श्री सचिन त्रिपाठी का नाम आबकारी निरीक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26–04–2024 के ज्येष्ठता क्रमांक 669 पर अंकित श्री पिंगाक्ष त्रिपाठी तथा ज्येष्ठता क्रमांक–670 पर अंकित श्री आशीष सिंह के नामों के मध्य अंकित किया जाना नियमानुकूल पाया गया। इस प्रकार श्री सचिन

त्रिपाठी का नाम ज्येष्ठता कमांक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता क्रमांक–1096 से हटाकर श्री पिगांक्ष त्रिपाठी तथा श्री आशीष सिंह के नामों के मध्य अंकित कर दिया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

आपत्ति प्रकार–8

श्री अशोक कुमार

श्री अशोक कुमार, आबकारी निरीक्षक, प्रवर्तन–2, सहारनपुर द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 06–05–2024 के माध्यम से आबकारी निरीक्षक पद पर अपनी पूर्व मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनांक 28–02–2003 के आधार पर ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 के ज्येष्ठता कमांक–482 से हटाकर अपनी आबकारी निरीक्षक पद पर परिवर्तित मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनांक 24–05–2010 के आधार पर अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26–04–2024 के कमांक 607 पर अंकित किये जाने को गलत एवं अन्यायपूर्ण बताते हुए आबकारी निरीक्षक पद अपनी मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनांक 28–02–2003 में किसी प्रकार का बादलाव न करते हुए दिनांक 06–09–2010 को निर्गत ज्येष्ठता सूची के कमांक–482 पर ही अंकित किये जाने का अनुरोध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 629/2022 जनरैल सिंह व अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता व अन्य में पारति निर्णय के पैरा–62 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित तथ्यों के आधार पर एम. नागराज व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय के दिनांक 19–10–2006 से लागू होना बताते हुए सिविल अपील संख्या 2608/2011 उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27–04–2012 को पारित निर्णय को एम0 नागराज पर पारित निर्णय पर आधारित होना बताया है। तदनुसार प्रत्यावेदक ने दिनांक 15–11–1997 के पश्चात प्रोन्नति में आरक्षण के लाभ के आधार पर प्राप्त पदोन्नति को शासन के आदेश के कम में कार्यालय आबकारी आयुक्त उ0 प्र0 संख्या–ए–17006/चार–एस.सी./एस.टी./आरक्षण/दिनांक 15.11.1997/अधि./दिनांक 04–09–2015 को निष्प्रभावी बताते हुए आबकारी निरीक्षक पद पर अपनी मौलिक नियुक्ति की तिथि 28–02–2003 के अनुसार दिनांक 06–09–2010 को निर्गत ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता कमांक 482 पर ही अंकित रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री अशोक कुमार के उपरोक्त प्रत्यावेदन में व्यक्त कथन के सम्बन्ध में परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि श्री अशोक कुमार की उप आबकारी निरीक्षक पद से आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति दिनांक 28–02–2003 को अनूसूचित जाति के आरक्षित कोटे के लाभ के अन्तर्गत की गयी थी। कालान्तर में सिविल अपील संख्या 2608/2011, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–04–2012 के अनुपालन में कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/4/1/2002/टी0सी0–1–का–2/2015 दिनांक 21–08–2015 तथा आबकारी अनुभाग–1 के शासकीय पत्र संख्या 1577 ई–1/तेरह–2015/दिनांक 27–08–2015 के अन्तर्गत इनकी आबकारी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति की तिथि 28–02–2003 को निरस्त करते हुए, इन्हें दिनांक 24–05–2010 से आबकारी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी। तदनुसार दिनांक 06–09–2010 के ज्येष्ठता सूची के कमांक 482 पर इनकी ज्येष्ठता निरस्त करते हुए कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 16–10–2015 के द्वारा उनकी आबकारी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति की तिथि नियमानुसार दिनांक 24–05–2010 के अनुसार निर्धारित की गयी है। प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन में उल्लिखित सिविल अपील संख्या 629/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि उक्त सिविल अपील में न तो प्रत्यावेदक और न ही आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश पक्षकार है और न ही उक्त सिविल अपील के निर्णय के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई शासनादेश ही निर्गत किया गया है। अतः प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निरस्त ~~निस्स्त~~ किया जाता हैं।

आपत्ति प्रकार–9

श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय

श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1, उन्नाव द्वारा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र में यह उल्लिखित किया है कि उन्होंने उप आबकारी निरीक्षक पद पर दिनांक 07–03–1987 को कार्यभार ग्रहण किया था और उप आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 07–05–1995 में उनका नाम कमांक–26 पर अंकित था तथा कमांक–25 पर उनके ऊपर श्री अजीत सिंह यादव और उनके नीचे कमांक–27 पर श्री लाल जी तिवारी, कमांक–28 पर श्री संजय गुप्ता का नाम अंकित था। श्री पाण्डेय ने यह उल्लेख करते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–6 व 7 के अनुसार आबकारी निरीक्षक संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना चाहिए। तदनुसार आबकारी निरीक्षक की निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26–04–2024 में पोषक संवर्ग उप आबकारी निरीक्षक की ज्येष्ठता के आधार पर श्री अजीत सिंह यादव के पश्चात अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय के प्रत्यावेदन में व्यक्त कथन के सम्बन्ध में परीक्षणेपरान्त पाया गया कि श्री पाण्डेय यद्यपि अपने मूल संवर्ग उप आबकारी निरीक्षक की ज्येष्ठता सूची में श्री अजीत सिंह यादव के नीचे तथा श्री लाल जी तिवारी (सेवानिवृत्त) व श्री संजय गुप्ता के ऊपर है, परन्तु कालान्तर में आबकारी निरीक्षकों के प्रोन्नति के समय श्री पाण्डेय अपने कनिष्ठ श्री संजय गुप्ता के साथ अथवा उनसे पहले प्रोन्नति हेतु विचारित अवधि में प्राप्त निन्दा/भर्त्सना प्रविष्टियों के कारण विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नही पायें गये थे, जिसके के कारण श्री पाण्डेय अपने कनिष्ठ की तिथि की आबकारी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति नही प्राप्त कर पाये। इस सम्बंध में श्री पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों दिनांकित 30–07–2008 तथा 08–03–2010 का निस्तारण कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या–31/P.A/चार–डी–130(9)/अधिष्ठान/दिनांक 15–05–2010 के द्वारा करते हुये निरस्त कर दिया गया था। श्री संजय गुप्ता की आबकारी निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दिनांक 28–02–2003 को हुई थी, परन्तु श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय को विचारित अवधि में प्रदत्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण उन्हें विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नही पाया गया था। कालान्तर में श्री पाण्डेय की आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति दिनांक 07–11–2012 को हुई। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 के अनुसार श्री पाण्डेय की ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। नियम–8 के अनुसार जब किसी पद पर नियुक्तियां पदोन्नति व सीधी भर्ती से की जायें तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता (दो पोषक संवर्गों से पदोन्नति होने के कारण) नियम–8(2)(ख) में उल्लिखित नियम–7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। नियम–7 में उल्लिखित है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे। श्री पाण्डेय की आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति (दिनांक–07–11–2012), श्री संजय गुप्ता की पदोन्नति (दिनांक 28–02–2003) के पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप हुआ है। अतः उक्त नियमावली के नियम–7 के अनुसार श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय की ज्येष्ठता आबकारी निरीक्षक के पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित की गयी है, जो उक्त नियमावली के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

आपत्ति प्रकार–10

श्री रजनीश प्रताप सिंह

श्री रजनीश प्रताप सिंह, आबकारी निरीक्षक द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 07–05–2024 में यह कहा गया है कि उनका नाम उप आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची में कमांक–92 पर स्थित है तथा श्री आशीष सिंह का नाम ज्येष्ठता कमांक–93 पर, श्रीमती सीमा कुमारी का नाम ज्येष्ठता कमांक–135 पर तथा श्री पिंगाक्ष

त्रिपाठी का नाम ज्येष्ठता कमांक–86 पर उनके ऊपर है। उनका कथन है कि नवम्बर–2012 में उनके साथ श्री आशीष सिंह व श्रीमती सीमा कुमारी सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण प्रोन्नत नहीं हो सके थे परन्तु श्री आशीष सिंह व श्रीमती सीमा कुमारी को पूर्वगामी तिथि से आबकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। उपरोक्तानुसार अनुरोध करते हुए उन्होंने ज्येष्ठता नियमावली तथा माननीय न्यायालयों के कतिपय निर्णयों का उल्लेख करते हुए अपनी ज्येष्ठता श्री आशीष सिंह के ज्येष्ठता कमांक 670 के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि श्री रजनीश प्रताप सिंह की प्रोन्नति कार्यालय के आदेश दिनांक 09–06–2016 के अन्तर्गत की गयी है और उनकी पदोन्नति के सम्मुख किसी पूर्वगामी तिथि से पदोन्नत किये जाने का कोई आदेश नहीं है। दिनांक 07–11–2012 को पदोन्नति हेतु आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में 05 कार्मिकों (श्री महेश बाबू यादव, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री अरविन्द सिंह, श्री रघुवीर प्रताप सिंह तथा श्रीमती सीमा कुमारी) के प्रोन्नति के प्रकरण को आस्थगित किया गया था, जिनमें से उक्त आस्थगित प्रकरणों पर पुनर्विचार हेतु प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13–02–2013 को श्रीमती सीमा कुमारी को प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए समिति की संस्तुति पर दिनांक 07–11–2012 से प्रोन्नति हेतु आदेश दिनांक 13–02–2013 निर्गत किया गया था। तदनुसार ज्येष्ठता नियमावली के नियम–8 (ख) के अन्तर्गत उल्लिखित नियम–7 के अग्रेतर प्रतिबन्ध के अनुसार श्री रजनीश प्रताप सिंह को उनकी प्रोन्नति की तिथि दिनांक 09–06–2016 को मौलिक नियुक्ति की तिथि अवधारित करते हुए उनकी ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की गयी है। अतः श्री रजनीश सिंह का प्रत्यावेदन दिनांक 07–05–2024 बलहीन एवं तथ्यों से परे होने के कारण निरस्त किया जाता है।

आपत्ति प्रकार–11

श्री सुभाष चन्द्र सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री असलम अली सिद्दीकी,

उपरोक्त प्रत्यावेदकों ने अपने प्रत्यावेदन के अन्तर्गत यह उल्लेख किया है कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत प्रोन्नति आदेश दिनांक 09–06–2016 के अनुसार उनका चयन 2014–15 की रिक्ति के सापेक्ष अनुपूरक चयन में हुआ है तथा ज्येष्ठता कमांक–220, 221 222, 223, 232, 233, 243, व 252 पर अंकित आबकारी निरीक्षकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था तथा सिविल अपील संख्या 2608/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 27–04–2012 के पश्चात आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत उपरोक्त कार्मिकों, जो ज्येष्ठता में उनसे कनिष्ठ थे, को अवनत करने के पश्चात, जो रिक्तियां उपलब्ध हुई थी, उनके सापेक्ष प्रत्यावेदकों का चयन हुआ था। तदनुसार प्रत्यावेदकों ने नोशनल पदोन्नति की मांग करते हुए अपना नाम आबकारी निरीक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26–04–2024 में तदनुसार अंकित किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रत्यावेदकों के उपरोक्त प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि प्रत्यावेदकों की पदोन्नति दिनांक 09–06–2016 को हुई है और उनके पदोन्नति आदेश में किसी पूर्वगामी तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 सपठित नियम–7 के अनुसार उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है, जो पूर्णतया नियमानुसार है। अतः प्रत्यावेदकों के प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

आपत्ति प्रकार–12

सर्वश्री कुमार गौरव सिंह, हरीश चन्द्र, सौरभ जायसवाल, आलोक कुमार सिंह, अमित कुमार, सुरेश सिंह चौहान, अरूण कुमार, राम औतार, शैलेन्द्र प्रताप सिंह, वाचस्पति शुक्ल, विजय चन्द्र जायसवाल, अवधेश

कुमार, आशीष कुमार तिवारी, विष्णु प्रताप सिंह, संजय कुमार, प्रफुल्ल कुमार सिंह, रविशंकर गुप्ता, रविनन्दन गौड़, रोहित कुमार, अमित कुमार, अभय कुमार सिंह, उपेन्द्र कुमार शुक्ल, रूद्रकान्त मिश्र, देवेन्द्र सिंह रावत, मो0 कैसर नूरानी, अभिषेक, अखिलेश कुमार, मानवेन्द्र सिंह, विद्यासागर, अजय कुमार सिंह, वाणी विनायक मिश्रा, वरूण नायक, संजीव कुमार सिंह, रोहित शर्मा, ध्रुव नारायण सिंह, पुरूषोत्तम प्रसाद टण्डन, शिखर कुमार श्रीवास्तव, चमन सिंह

उपरोक्त प्रत्यावेदकों द्वारा अपनी जन्मतिथि, मौलिक नियुक्ति की तिथि, शैक्षिक योग्यता एवं गृह जनपद के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रमाण सहित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसे परीक्षणोपरान्त सही पाये जाने पर परिवर्तित कर दिया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदको के प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाते हैं।

आपत्ति प्रकार–13

श्री शंकर लाल एवं श्री अमित कुमार

प्रत्यावेदकों ने अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लिखित किया है कि उन्हें पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त हुआ था तथा उन्हें श्रेष्ठता–सह–वरिष्ठता के आधार पर दिनांक 07–11–2012 से आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी थी। श्री शंकर लाल का यह भी कथन है कि कनिष्ठ लिपिक के पद पर उनकी नियुक्ति 02–11–1989 को तथा श्रीमती अर्चना पाण्डेय की नियुक्ति 05–12–1990 को हुई थी। तदनुसार वह श्रीमती अर्चना पाण्डेय से वरिष्ठ हैं। श्री शंकर लाल का यह भी कथन है कि लोक सेवा आयोग की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 09–06–2016 द्वारा पूर्व में की गयी पदावनति को गलत मानते हुए आबकारी निरीक्षक पद पर श्रेष्ठता–सह–वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है। श्री शंकर लाल का यह भी कथन है कि उनकी पदोन्नति श्रेष्ठता–सह–वरिष्ठता के आधार पर की गयी है और उनके प्रोन्नति आदेश में एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. रिजर्वेशन एक्ट–1994 की धारा 3/7 व ज्येष्ठता नियमावली 1991, के रूल 4 (ए) का कहीं कोई उल्लेख नहीं है और न ही उसका लाभ दिया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27–04–2012 की परिधि में नहीं आता। प्रत्यावेदक का यह भी कथन है कि सिविल अपील संख्या 2608/2011 उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य तथा उससे सहबद्ध सिंचाई विभाग की अपील संख्या 2679/2011 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम प्रेम कुमार सिंह व अन्य सहबद्ध अपीलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27–04–2012 एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 30–03–2015 एवं 21–08–2015 में उल्लिखित अवधि दिनांक 15–11–1997 के मध्य की रिक्तियां नहीं हैं भले ही वे उक्त अवधि के मध्य पदोन्नत हुए हों, अतः उनकी की गयी पदावनति औचित्यपूर्ण नहीं है। श्री शंकर लाल द्वारा सिंचाई विभाग के 18 इंजीनियरों के प्रकरण में गठित ग्रीवांस कमेटी के द्वारा आदेश दिनांक 06–08–2016 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव द्वारा पदावनत अभियन्ताओं को पुनः सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदस्थापित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में ग्रीवांस कमेटी गठित कर सीनियारिटी डाउन करने सम्बन्धी पारित आदेश दिनांक 01–09–1995 को निरस्त कर पुनः पूर्व की भांति पदोन्नति तथा सभी लाभ प्रदान करते हुए दिनांक 07–11–2012 से आबकारी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति प्राप्त निरीक्षकों के साथ अपनी ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

प्रत्यावेदक के उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि प्रत्यावेदक (श्री शंकर लाल) को आरक्षण के लाभ के अन्तर्गत दिनांक 07–11–2012 को ज्येष्ठ सहायक पद (जो कालान्तर में प्रधान सहायक पदनाम में परिवर्तित हुआ) से आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई थी जिसे सिविल अपील संख्या 2608/2011 उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–04–2012 के अनुपालन में निर्गत कर्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/4/1/2002/टी0सी0–1–का–2/2015 दिनांक 21–08–2015 तथा आबकारी

अनुभाग–1 के शासकीय पत्र संख्या 1577 ई–1/तेरह–2015/दिनांक 27–08–2015 के अन्तर्गत श्री शंकर लाल को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त होने के कारण पदोन्नत पद से अवनत कर दिया गया था तथा आदेश दिनांक 09–06–2016 के अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक पद (जो पूर्व में ज्येष्ठ लिपिक पद था) से आबकारी निरीक्षक पद पर अपनी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत हुए। प्रत्यावेदक का यह कथन कि उसकी पदोन्नति श्रेष्ठता–सह–वरिष्ठता के आधार पर की गयी है पूर्णतया असत्य होने के कारण अस्वीकार है वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्यावेदक की समस्त प्रोन्नतियां **"अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के मापदण्ड पर"** संगत नियमावलियों के अन्तर्गत की गयी हैं। प्रत्यावेदक का यह कथन कि उनका प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27–04–2012 के परिधि में नहीं आता पूर्णतया असत्य होने के कारण अस्वीकार है, क्योंकि प्रत्यावेदक आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत हुए थे। जहां तक श्रीमती अर्चना पाण्डेय से प्रत्यावेदक के ज्येष्ठता का सम्बन्ध है इसके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्यावेदक (लिपिक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची का ज्येष्ठता क्रमांक–221) के आबकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिनांक 09–06–2016 को हुई है तथा श्रीमती अर्चना पाण्डेय (लिपिक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची का ज्येष्ठता क्रमांक–226) की प्रत्यावेदक के पश्चात दिनांक 13–02–2017 को हुई है।

श्री अमित कुमार ने भी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ही आरक्षण का लाभ लेकर आबकारी निरीक्षक पद पर दिनांक 27–07–2007 को हुई प्रोन्नति के आधार पर ही उपरोक्तानुसार ग्रीवांस कमेटी बनाकर उसकी संस्तुति के आधार पर अपनी प्रोन्नति/ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि श्री अमित कुमार भी प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर दिनांक 27–07–2007 को पदोन्नत हुए थे, जिसे सिविल अपील संख्या–2608/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–04–2012 के अनुपालन में निरस्त कर ज्येष्ठता के आधार पर दिनांक 07–12–2012 को पदोन्नत हुए थे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यावेदकों के प्रत्यावेदन बलहीन एवं तथ्यों से परे होने के कारण निरस्त किये जाते हैं।

आपत्ति प्रकार–14

श्री नन्द कुमार मिश्रा

श्री नन्द कुमार मिश्रा ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 04–05–2024 के अन्तर्गत अपनी ज्येष्ठता अपने कनिष्ठ श्री सुरेश सिंह चौहान की आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 24–05–2010 के आधार पर श्री चौहान के ऊपर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रत्यावेदक का उपरोक्त प्रत्यावेदन परीक्षणोंपरान्त उचित पाया गया। तदनुसार श्री नन्द कुमार मिश्रा का नाम श्री सुरेश सिंह चौहान के ऊपर ज्येष्ठता सूची में अंकित कर दिया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता हैं।

आपत्ति प्रकार–15

श्री चमन सिंह

श्री चमन सिंह ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 30–04–2024 के अन्तर्गत यह उल्लिखित करते हुए कि उनकी उप आबकारी निरीक्षक पद से आबकारी निरीक्षक पद पर दिनांक 24–05–2010 को पदोन्नति हुई थी तदनुसार उन्होने दिनांक 24–05–2010 को हुई पदोन्नति के आधार पर अपनी ज्येष्ठता संशोधित किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रत्यावेदक के उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि दिनांक 24–05–2010 को प्रत्यावेदक की उप आबकारी निरीक्षक पद से आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति आरक्षण के लाभ के अन्तर्गत हुई थी, जिसे सिविल अपील संख्या 2608/2011 उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–04–2012 के अनुपालन में निर्गत कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/4/1/2002/टी0सी0–1–का–2/2015 दिनांक 21–08–2015 तथा आबकारी अनुभाग–1 के शासकीय पत्र संख्या 1577 ई–1/तेरह–2015/दिनांक 27–08–2015 के अन्तर्गत कार्यालय के आदेश संख्या–ए–17116/चार–एस.सी./एस.टी./आरक्षण/दि0 15.11.97/अधि0/दिनांक 04–09–2015 द्वारा श्री चमन सिंह को उनके कनिष्ठ श्री त्रिभुवन सिंह हयांकी की पदोन्नति की तिथि 07–11–2012 से पदोन्नत करने का आदेश पारित किया गया है, तदनुसार श्री चमन सिंह की उनकी आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति की तिथि (मौलिक नियुक्ति की तिथि) दिनांक 07–11–2012 से नियमानुसार ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। अतः प्रत्यावेदक का दिनांक 24–05–2010 की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारण की मांग पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

आपत्ति प्रकार–16

श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव

श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 30–04–2024 के अन्तर्गत यह उल्लिखित करते हुए कि सिविल अपीलों में माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–07–2011 के अनुपालन में श्री कमलापति चौधरी व श्री हुकुम सिंह को उनकी आबकारी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति की मूल तिथि क्रमशः दिनांक 13–06–1996 वे 19–06–1997 के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करते हुए ज्येष्ठता सूची में स्थान प्रदान किया जाए। परन्तु इस सम्बन्ध में उनके सहित अन्य कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावदेनों का निस्तारण न करते हुए प्रकरण में उक्त दोनों कार्मिकों को दिनांक 26–06–1995 से नोश्नल पदोन्नति प्रदान कर दी गयी। प्रत्यावेदक द्वारा यह भी कहा गया है कि दिनांक 05–10–2007 को गठित जिस चयन समिति द्वारा उपरोक्त कार्मिकों को दिनांक 26–06–1995 से सशर्त नोश्नल प्रोन्नति की संस्तुति की गयी थी, उसके अध्यक्ष अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश नामित किये गये थे, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली, 1992 के नियम–16 (1) के प्राविधानों के विरूद्ध है क्योंकि प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति के अध्यक्ष आबकारी आयुक्त को ही होना चाहिए था। अतः इस चयन समिति को वैध न माने जाने का अनुरोध करते हुए समिति की संस्तुति के आधार पर नोश्नल प्रोन्नति के कार्यवाही को वैधानिक रूप से निरस्त किये जाने योग्य बताया है। प्रत्यावेदक ने यह भी कहा है कि उक्त समिति ने दिनांक 26–06–1995 से नोश्नल पदोन्नति प्रदान करने के साथ–साथ उनकी वरिष्ठता में परिवर्तन न किये जाने की संस्तुति की थी, जिससे सहमत होते हुए आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 30–10–2007 द्वारा इन कार्मिकों को दिनांक 26–06–1995 से नोश्नल प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि बिना न्यायालय की अनुमति के वरिष्ठता में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 26–06–1995 को उपलब्ध रिक्तियों की गणना संवर्ग में स्वीकृत कुल पदो के आधार पर न करके तत्समय कार्यरत कार्मिकों की संख्या के आधार पर कर ली गयी थी, जो सर्वथा अनुचित प्रकार से की गयी गणना है। प्रत्यावेदक ने अपने प्रत्यावेदन में यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक 26–06–1995 को प्रोन्नति कोटे के पदों की संख्या नियमानुसार कुल स्वीकृत पदो का 10 प्रतिशत अर्थात 48 (तत्समय कुल स्वीकृत पदों 489 के सापेक्ष) होनी चाहिए। प्रत्यावेदक का कथन है समिति ने कार्यरत उप निरीक्षक संवर्ग के 68 उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग के आबकारी निरीक्षकों की संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों की संख्या 14 माना है, जो कि वास्तव में 10 होना चाहिये, जबकि तत्समय 12 अनुसूचित जाति के उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग के आबकारी

निरीक्षक कार्यरत थे। तदकम में श्री श्रीवास्तव ने बिना न्यायालय की अनुमति के वरिष्ठता में किये गये परिवर्तन को निरस्त करते हुए उन्हें आबकारी निरीक्षक पद पर उनकी मूल/वास्तविक पदोन्नति की तिथियों 13–06–1996/ 19–06–1997 से वरिष्ठता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रत्यावेदक के उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन दिनांक 30.04.2024 में संलग्न किये गये कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या–1144/पी0एस0–5/प्रोन्नति/आ0नि0/दिनांक 30.10.2007 के अन्तिम प्रस्तर में उल्लिखित है कि **"चयन समिति की उक्त संस्तुति के कम में श्री के0पी0 चौधरी और श्री हुकुम सिंह, तत्कालीन उप आबकारी निरीक्षक द्वय को दिनांक 26–06–1995 से नोशनल प्रोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24–10–2003 के अनुपालन में बनायी गयी ज्येष्ठत सूची जिसकी एक प्रति मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल है, में किसी प्रकार का परिमार्जन/अपमार्जन बिना मा0 उच्च न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के नहीं किया जायेगा।"** उल्लेखनीय है कि श्री के0पी0 चौधरी व श्री हुकुम सिंह को दिनांक 26–06–1995 से प्रदान की गयी नोशनल पदोन्नति के उपरोक्त शर्त के कम में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10–02–2005 के साथ संलग्न ज्येष्ठता सूची दिनांक 28–08–2004 निर्गत की गयी थी, जो कालान्तर में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10–03–2008/25–03–2008 द्वारा निरस्त कर दी गयी थी तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–03–2008/25–03–2008 के अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 निर्गत की गयी थी। तद्नुसार श्री के0पी0 चौधरी तथा श्री हुकुम सिंह की ज्येष्ठाता दिनांक 06–09–2010 को उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुये निर्धारित की गयी है तथा आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 10–03–2008/25–03–2008 के अनुपालन में न्यायालय के निर्देशानुकम में आबकारी निरीक्षकों की बनायी गयी ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित SLP में प्रस्तुत किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा संदर्भगत SLP निरस्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पायी थी। तदनुसार प्रत्यावेदक के द्वारा प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों का विचारण करने के उपरान्त वस्तुस्थिति यह है कि श्री कमलापति चौधरी और श्री हुकुम सिंह की आबकारी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति की तिथि दिनांक 26–06–1995 ही अंकित की गयी है, जैसा माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 10–03–2008/ 25–03–2008 के अनुपालन में न्यायालय के निर्देशानुकम में आबकारी निरीक्षकों की निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 में अंकित थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित SLP में प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यावेदक द्वारा उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग से आबकारी निरीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों की गणना के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि दिनांक 17–11–1992 को आबकारी निरीक्षक के स्वीकृत पदों की संख्या–489 थी। तद्नुसार उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग से आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के लिये तत्समय 18 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 08 रिक्तियॉ आरक्षित होती हैं, जिसके सापेक्ष अनुसूचित जाति के उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग से आबकारी निरीक्षक पद पर 02 प्रोन्नतियॉ कमशः श्री सी0पी0 सागर व श्री ओ0पी0 वर्मा की दिनांक 17–11–1992 से नोशनल रूप में की गयी, जो श्री के0पी0 चौधरी तथा श्री हुकुम सिंह से अत्यधिक वरिष्ठ थे। प्रत्यावेदक द्वारा पदों की गणना के लिये किये गये उल्लेख के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 निर्गत किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–1214/पी0एस0/विविध/ज्येष्ठता सूची/आ0नि0/2008/दिनांक 06–09–2010 में तत्समय प्राप्त समस्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त जारी किया गया है। तद्नुसार रिक्तियों के आगणन के सम्बन्ध में

प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन, ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06–09–2010 के अन्तर्गत निस्तारित किया जा चुका है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–03–2008 / 25–03–2008 के निर्देशों के अनुपालन में आबकारी निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 06–09–2010 निर्गत की गयी थी। अतः प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26–04–2024 के विरूद्ध नियत तिथि तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण उपरोक्तानुसार करते हुए आबकारी निरीक्षकों अन्तिम ज्येष्ठता सूची इस कार्यालय के ज्ञाप के साथ संलग्न कर निर्गत की जाती है।

संलग्नकः–आबकारी निरीक्षकों की अन्तिमीकृत ज्येष्ठता सूची
दिनांक– 01 –07–2024 (कुल 33 पृष्ठों में) तैंतीस पृष्ठ.

(डॉ0 आदर्श सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या /पी0एस0/विविध/ज्येष्ठता सूची/आ0नि0/2024/दिनांक, 01 जुलाई, 2024.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग–1, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या–596/ई–1/तेरह–2022–487/2024–1797359/दिनांक–16–03–2024 के क्रम में ज्येष्ठता सूची सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुक्त/सहायक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी।
4– आबकारी निरीक्षक, परसनल स्टाफ, मुख्यालय।
5– सम्बन्धित पटल सहायक, मुख्यालय।
6– गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र कुमार)
उप आबकारी आयुक्त,
(कार्मिक एवं अधिष्ठान)
का0 आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।